ऑन लाईन नं.RCMS2023/240

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 91 / 2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री केवलकृष्ण सहगल पुत्र श्री दुर्गादास सहगल --विक्रेता--
मै0 सहगल स्टोर, 20 ए, सेतिया फार्म मैन रोड, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद --(मालिक)--
मै0 अरविन्द ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नंबर 204 हिम्मत नगर, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय दिनांक : 17.11.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्रीमान् आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वा. अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ के नमूनों के प्रकरणों की अभियोजन समयसीमा बढाने एवं मान्य न्यायालय में केस लगाने की स्वीकृति प्रदान हेतु आदेशित किया गया है। आवेदक श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वाक्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने श्रीमान अभिहीत अधिकारी गंगानगर से उनके पत्र क्रमांक 1276--77 दिनांक 21.08.2023 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर परिवाद मा. न्यायालय में पेश किया।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.02.2022 को समय दोपहर 02 बजे मै. सहगल स्टोर, 20 ए सेतिया फार्म मेन रोड, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर मालिक व विक्रेता की हैसियत से श्री केवल कृष्ण सहगल पुत्र श्री दुर्गादास सहगल को अपना परिचय देकर दुकान के अंदर रखे **खाद्य पदार्थ मिल्क रस (मगन ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने दुकान पर रखे **खाद्य पदार्थ मिल्क रस (मगन ब्राण्ड) के 07 गत्ते के कार्टून में 140 पैकिट** को आमजन बेचान हेतु बताया। दुकान में रखे **खाद्य पदार्थ मिल्क रस (मगन ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **खाद्य पदार्थ मिल्क रस (मगन ब्राण्ड)** का नमुना विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रय हेतु उपलब्ध **खाद्य पदार्थ मिल्क रस (मगन ब्राण्ड)** 04गुणा400 ग्राम विक्रेता से खरीद किया तथा मौके पर ही विक्रेता को उक्त क्रयशुदा **खाद्य पदार्थ मिल्क रस (मगन ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 200 रुपए किया तथा केशमिमो बनवाया, जिस पर विक्रेता, गवाहान और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री केवल कृष्ण सहगल पुत्र श्री दुर्गादास सहगल एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक श्री कृष्ण सहगल को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **खाद्य पदार्थ मिल्क रस (मगन ब्राण्ड)** के 04 मूल पैकिट शुद्धता की जांच के लिए लिये। चारों पैकिट पर लैबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1394** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप नं. के–1394** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री केवल कृष्ण सहगल एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की एव शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक - एलएस / 312 / एक्ट / 2022 / 312 दिनांक 07.03.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1394 Misbransed Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री केवल कृष्ण सहगल पुत्र श्री दुर्गादास सहगल मैसर्स सहगल स्टोर, 20 ए सेतिया फार्म मेन रोड, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **खाद्य पदार्थ मिल्क रस (मगन ब्राण्ड)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) / 52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई। अभियुक्त श्री केवल कृष्ण सहगल द्वारा दिनांक 20.10.2023 को प्रार्थना पत्र मय बिल की प्रति पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अरविन्द ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नंबर 204, हिम्मत नगर, श्रीगंगानगर से **खाद्य पदार्थ मिल्क रस (मगन ब्राण्ड)** जरिए बिल नंबर 1530 दिनांक 14.02.2022 कय किया गया था। अतः अरविन्द ट्रेडिंग कम्पनी को पार्टी बनाया जाए। अरविन्द कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद मैसर्स अरविन्द ट्रेडिंग कम्पनी को आदेशिका दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से अप्रार्थी संख्या-02 बनाया गया।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मकान नंबर 12 सी भूप कॉलोनी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स अरविन्द ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नंबर 204 हिम्मत नगर श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 23 / दिनांक का दिया है कि आपकी दुकान में मगन रस की जांच की गई तो मगन रस Misbranded Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त मगन रस में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण 91 / 2023 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद में दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **खाद्य पदार्थ मिल्क रस (मगन ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1394** जांच रिपोर्ट क्रमांकएलएस / 312 / एक्ट / 2022 / 312 दिनांक 07.03.2022 अनुसार खाद्य नमूना **K-1394 Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 21 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी मकान नंबर 12 सी भूप कॉलोनी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

वाला है। प्रार्थी मैसर्स अरविन्द ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नंबर 204 हिम्मत नगर श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 23/ दिनांक का दिया है कि आपकी दुकान में मगन रस की जांच की गई तो मगन रस Misbranded Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त मगन रस में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण 91/2023 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया **Sample of "Milk Rusk (Magan)" bearing Code No and Sr. No. K-1394, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety and Standard Act 2006.** जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **श्री केवल कृष्ण सहगल पुत्र श्री दुर्गादास सहगल एवं श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री केवल कृष्ण सहगल पुत्र श्री दुर्गादास सहगल एवं श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत संयुक्त रूप से राशि रूपये 10,000--00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर